डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108/भोपाल/03-05

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364] भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 सितम्बर 2004—भाद्र 15, शक 1926

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्र. एफ. 1-उन्सठ-2003-13-1.—मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा में भर्ती और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषायें.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''ए. आई. सी. टी. ई.'' से अभिप्रेत है आल इंडिया काउन्सिल फार टेकनीकल एजुकेशन एक्ट, 1987 (1987 का सं. 52) के अधीन स्थापित आल इंडिया काउन्सिल फार टेकनीकल एजुकेशन;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-दो के कॉलम 3 से 7 में वर्णित पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों, संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है सरकार तथा अनुसूची-दो के कॉलम 8 से 12 में दर्शित ऐसे पदों के जो

सोसाइटी/संस्थान को अंतरित किये गये हैं, संबंध में अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/संस्थान की प्रबंधन समिति;

(ग) ''बोर्ड ऑफ गवर्नर्स'' से अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है कोई पोलीटेकनिक महाविद्यालय जिसका प्रबंधन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 49-42-1-2001, दिनांक 12 जुलाई, 2001 के द्वारा प्रबंधन समिति में निहित है;

(च) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-25-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) ''प्रबंधन समिति'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोलीटेकनिक महाविद्यालय की प्रबंधन समिति;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों में वर्णित विभिन्न अनुसूचियां;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूल वंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है अनुसूची-तीन में उल्लिखित चयन समिति;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा;

(ड) ''सोसाइटी'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सोसाइटी.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों, डाइंग काडर का गठन करेंगे;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि होने पर सरकारी सेवक द्वारा त्यागे गये पद पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सोसाइटी/प्रबंधन समिति को अंतरित हो जायेंगे.

6. **भरती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी;

(2) उपनियम—(1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-तीन में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी;

(3) उपनियम-(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि पोलीटेकनिक महाविद्यालय की सोसाइटी/प्रबंधन समिति की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सोसाइटी/प्रबंधन समिति, सरकार की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न भर्ती का ऐसा तरीका अपना सकेगी, जैसा वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां करेगा और ऐसी नियुक्तियां, नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेंगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**—चयन के समय प्रतियोगिता में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) आयु (क) (एक) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-चार के कालम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो;

(दो) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(तीन) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी,

ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या उसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था.

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें,:—

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर; और

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरुद्ध छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(छ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा 55 वर्ष होगी;

(ज) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन स्कीम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) ''विक्रम पुरस्कार धारक'' अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ट) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु-सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

टिप्पणी:—(1) विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

2. **शैक्षणिक अर्हताएं**.—उसके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जो अनुसूची चार में सेवा के लिये विहित की गई हैं.

3. **फीस**.—उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता**.—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये निरर्हित करेगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय**.—चयन/परीक्षा के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा और/या साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जायेगा.

11. **चयन द्वारा सीधी भर्ती**.—(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर अवधारित करें.

(2) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/प्रबंधन समिति द्वारा लिखित परीक्षा तथा/या साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा.

(3) अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों पर नियुक्ति, आरक्षण संबंधी विधि या नियमों के द्वारा शासित होगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पदों को आरक्षित रखा जायेगा. इस प्रयोजन के लिये रोस्टर का संधारण संस्थान के स्तर पर किया जायेगा.

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा.

(ग) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण लागू होगा.

12. **नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की, जो विशिष्ट सेवा/पद के लिये ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें, योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची संबंधित पोलीटेकनिक महाविद्यालय के नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) चयन समिति विभिन्न संवर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग आदि के अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक् सूची तैयार करेगी.

(3) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों.

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(5) चयन सूची, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/प्रबंधन समिति द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी.

13. **सेवा की शर्तें.**—(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी भर्ती अनुसूची-तीन में दर्शाये गये मूल पद यथा व्याख्याता, प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी (ग्रेड-2), सिस्टम एनालिस्ट (ग्रेड-2 एवं 3), पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहायक कर्मशाला अधीक्षक तथा प्रोग्रामर, आदि के रूप में हुई हो, प्रारंभ में तीन वर्षों की कालावधि के लिये संविदा पर नियुक्त किया जाएगा. इस कालावधि के पूर्ण होने पर, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के कार्य का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा यदि उपयुक्त पाया जाये तो उसे नियमित नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी.

(2) सोसाइटी/प्रबंधन समिति, अनुसूची-दो में दर्शाये गये विभागाध्यक्षों, कर्मशाला अधीक्षकों, प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी (ग्रेड-1), सिस्टम एनालिस्ट (ग्रेड-1) तथा प्राचार्यों आदि के पदों पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियमित नियुक्ति कर सकेगी.

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति का आचरण, समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन तथा उससे संबंधित अन्य फायदों के लिये हकदार नहीं होगा. यद्यपि ऐसे व्यक्तियों का, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-दो में उल्लिखित पदों को मूल रूप से धारण करते हैं, उच्च पदों पर चयन होने पर उस पद के, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति हुई है, पेंशन संबंधी फायदों के हकदार होंगे.

(5) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं, किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की सूचना या उसके स्थान पर एक मास के वेतन का भुगतान करने पर, संविदा/परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पूर्व भी समाप्त की जायेगी.

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उन कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधाओं के फायदे तथा यात्रा भत्ता का हकदार होगा, जिसके लिये राज्य सरकार में उनके समतुल्य संवर्ग के कर्मचारी हकदार हैं.

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा विनिश्चित अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का भी हकदार होगा.

(8) इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक छुट्टियों का हकदार होगा किन्तु वह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी या अवकाश का हकदार नहीं होगा. नियमित आधार पर नियुक्त अन्य व्यक्ति ऐसे अवकाश लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को लागू हैं.

(9) संविदा/नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन के सन्नियमों के अनुसार उच्च अर्हताएं धारण करने के लिये प्रोत्साहनों का हकदार होगा.

(10) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि उसको नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हों.

14. **धारणाधिकार.**—यदि कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक के कॉलम (3) से (7) में विनिर्दिष्ट पद मूल हैसियत में धारण कर रहा हो, प्रतिनियुक्ति पर होगा और यदि इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी उच्चतर पद पर चयन होता है तो उसे अपने मूल पद पर अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये धारणाधिकार बनाये रखने की अनुज्ञा दी जायेगी. ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व उस संस्थान के जिसमें कि वह सेवा कर रहा है, नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी के आमेलन के बारे में अंतिम विनिश्चिय करना होगा.

15. **राज्य सरकार की भर्ती तथा संवर्ग प्रबंधन नीति का समन्वय करने की शक्ति.**—राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह जब कभी भी आवश्यक हो, इन नियमों के अधीन संस्थाओं में भर्ती चयन तथा शिक्षकों के संवर्ग के प्रबंधन के लिये सामान्य सन्नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण करने संबंधी निर्देश सोसाइटी/प्रबंधन समिति को जारी करें.

16. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा.

17. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्तियों को सीमित या कम करती हों:

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायेगा, जो उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो.

18. **निरसन और व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

केरियर एडवांसमेंट.—केरियर एडवांसमेंट में शिक्षकों के समस्त स्थापना 'in situ' आधार पर होगा, जो कि किसी विशेष संवर्ग में मंजूर किये गये पदों की संख्या के अतिरिक्त होगा.

टिप्पण-1.—व्याख्याता के रूप में भर्ती के समय विज्ञान/मानविकी संकाय में उनको, जो क्रमश: पी.एच.डी. तथा एम. फिल की उपाधियां धारण करते हों और तकनीकी संकाय में उनको, जो क्रमश: पी.एच.डी. तथा एम.ई./एम.टेक. की उपाधियां धारण करते हों, चार तथा दो अग्रिम वेतन वृद्धियां अनुज्ञेय होंगी.

टिप्पण-2.—व्याख्याता, जो वरिष्ठ वेतनमान व्याख्याता के रूप में कार्यरत् हो, ''सिलेक्शन ग्रेड'' (प्रवर श्रेणी) में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने चयन के वर्ष में एक जनवरी को वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हों.
2. उसके पास स्नातकोत्तर उपाधि हो,
3. उसका पिछले 5 वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-3.—व्याख्याता, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. व्याख्याता के रूप में नियमित रूप से चयन के पश्चात् 1 जनवरी को 6 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि उसके पास एम.फिल, एम.ई./एम.टेक. तथा पी.एच.डी. उपाधि हो तो उसे क्रमश: एक वर्ष तथा दो वर्ष की छूट दी जायेगी.
2. उसने कम-से-कम 8 सप्ताह की अवधि के शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.
3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-4.—ग्रंथपाल, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा यथाविहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के पश्चात् उसने एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हों.
2. उसने कम-से-कम 8 सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.
3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-5.— वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत ग्रंथपाल प्रवर श्रेणी (सिलेक्शन ग्रेड) में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.
2. उसने पी. एच. डी. की उपाधि अभिप्राप्त की हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित करवाया हो, और
3. उसका पिछले पांच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-6.—शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा यथाविहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के पश्चात् एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हों.
2. उसने कम-से-कम 8 सप्ताहकी अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.
3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-7— शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, जो वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत हो, "प्रवर श्रेणी वेतनमान" में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने वरिष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.
2. उसने पी. एच. डी. की उपाधि अभिप्राप्त की हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित करवाया हो.
3. उसका पिछले पांच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-8.— व्याख्याता से व्याख्याता वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी ग्रंथपाल से ग्रंथपाल-वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी तथा शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक से शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक-वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी में स्थानन प्रयोजन के उनके लिए धारित तत्स्थानी पदों का क्रमोन्नत कर दिया जायेगा. ऐसा स्थानन स्क्रीनिंग प्रक्रिया से एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :—

सरकार द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

1.	सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	अध्यक्ष
2.	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
3.	स्वशासी/शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के दो प्राचार्य	सदस्य
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य

सोसाइटी द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

1.	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	संचालक, तकनीकी शिक्षा अथवा उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो.	सदस्य
3.	उस विश्वविद्यालय का कुलपति, जिससे संस्था संबद्ध है	सदस्य
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित संस्था का प्राचार्य	सदस्य-सचिव.

अनुसूची-चार
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव (5)	टिप्पणियां (6)
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.	1. प्राचार्य (तकनीकी).	-	60 वर्ष	1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि, प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर अथवा स्नातक उपाधि के साथ; और 2. 15 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. या 1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/टेकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. की उपाधि; और 2. 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें 3 वर्ष का विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	नोट.—उद्योगों/व्यवसायों से जुड़े, ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 15 वर्षों का अनुभव हो, जिसमें से (1) न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव व्याख्याता या उससे उच्च स्तर का; और (2) 5 वर्ष का विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव हो तथा शेष अवधि का उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव हो, वह भी पात्र होंगे.
	2. विभागाध्यक्ष (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि; और	निम्न संकायों के लिये लागू :— 1. आर्किटेक्चर 2. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	3. केमीकल इंजीनियरिंग 4. सिविल इंजीनियरिंग 5. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6. इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन इंजी. 7. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8. माइन सर्वेइंग 9. माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग. 10. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 11. टेक्सटाइल टेक्नालॉजी.
	3. प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी, ग्रेड-1 (तकनीकी).	–	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं में बुनियादी उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी पात्र होंगे.
	4. विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी (तकनीकी).	–	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बुनियादी उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. विभागाध्यक्ष, ब्यूटी कल्चर एवं कॉस्मेटोलॉजी (गैर-तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से ब्यूटीशियन/ब्यूटी कल्चर/कॉस्मेटोलॉजी में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि (डिप्लोमा); और 3. ब्यूटीशियन/ब्यूटी कल्चर/कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में 8 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/प्रशिक्षण में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	6. विभागाध्यक्ष, सीमेंट टेक्नालॉजी (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सीमेंट टेक्नालॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के साथ मैकेनिकल/केमीकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि; या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैटेरियल्स हेडलिंग/मेंटेनेंस विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मैकेनिकल/केमीकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर सीमेंट टेक्नालॉजी विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का सीमेंट टेक्नालॉजी विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय का उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	7. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ उक्त विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का संबंधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	8. विभागाध्यक्ष, वेशभूषा अभिकल्पन तथा पोषाक निर्माण (गैर-तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.) के साथ पीएच.डी. उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए. या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वेशभूषा अभिकल्पन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि; और 2. संबंधित विषय में 8 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/प्रशिक्षण में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	9. विभागाध्यक्ष, फूड टेक्नालॉजी (गैर-तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फूड टेक्नालॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर फूड टेक्नालॉजी विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का फूड टेक्नालॉजी विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	10. विभागाध्यक्ष, गारमेंट टेक्नोलॉजी (गैर-तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से क्लोथिंग/गारमेंट टेक्नालॉजी विषय में प्रथम श्रेणी में एम. एससी.; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए. या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में गारमेंट टेक्नालॉजी में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, या	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा फैशन/गारमेंट टेक्नालॉजी/कास्ट्यूम डिजायनिंग एवं ड्रेस मेकिंग में प्रथम श्रेणी में तीन वर्षीय पत्रोपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 5 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	11. विभागाध्यक्ष, इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रानिक्स (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रानिक्स विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की शाखा में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	12. विभागाध्यक्ष, इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन (गैर-तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 8 वर्ष का इंटीरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 5 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय के अध्यापन का अनुभव होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए. या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आर्किटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन विषय के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में आर्किटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन विषय के साथ बुनियादी उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का इंटीरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय के अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	13. विभागाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ उक्त विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का संबंधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	14. विभागाध्यक्ष, मेन्यूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मेन्यूफेक्चरिंग/प्रोडक्शन/रोबोटिक्स इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मेन्यूफेक्चरिंग/इंडस्ट्रीयल/मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का प्रोडक्शन/रोबोटिक्स/मेन्यूफेक्चरिंग/मैकेनिकल विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	15. विभागाध्यक्ष, मेकाट्रॉनिक्स (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मेकाट्रानिक्स/प्रोडक्शन/मेन्यूफेक्चरिंग/इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रानिक्स/रोबोटिक्स/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में प्रोडक्शन/आटोमेशन एवं रोबोटिक्स/मेन्यूफेक्चरिंग/मैकेनिकल/इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का संबंधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	16. विभागाध्यक्ष, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (गैर-तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बायो केमेस्ट्री या बेक्टीरियोलाजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में एम. बी. बी. एस.; और	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का संबंधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए. या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विकृति विज्ञान में प्रथम श्रेणी में एम.डी., और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 3 वर्ष का उपरोक्त विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 3 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 2 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का संबंधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	17. विभागाध्यक्ष, माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट (गैर-तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में पीएच.डी. उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट/माडर्न ऑफिस प्रैक्टिस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस विषय में अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट/माडर्न ऑफिस प्रैक्टिस/सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	18. विभागाध्यक्ष, रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से केमिकल/पेट्रोकेमिकल/पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ उक्त विषयों में से एक में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	19. विभागाध्यक्ष, औषधि विज्ञान (फार्मेसी) (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी. फार्मा की बुनियादी उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में एम. फार्मा; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20. विभागाध्यक्ष, मुद्रण प्रौद्यगिकी (तकनीकी).	–	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त संस्था/मण्डल/विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	21. विभागाध्यक्ष, रेफ्रीजरेशन एण्ड एयरकंडीशनिंग (तकनीकी).	–	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रेफ्रीजरेशन एवं एयरकंडीशनिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का संबंधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	22. विभागाध्यक्ष, टैक्सटाइल डिजाईन (गैर तकनीकी).	–	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टैक्सटाइल डिजाईन/टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए. या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टैक्सटाइल केमेस्ट्री विषय में प्रथम श्रेणी में एम.एससी.; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	23. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन (गैर तकनीकी).	–	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर उपयोजन में स्नातकोत्तर उपाधि तथा कम्प्यूटर उपयोजन में पीएच.डी. उपाधि,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का संबंधित विषय का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय में अध्यापन का होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	24. विभागाध्यक्ष, रूरल इंजीनियरिंग (गैर तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रूरल टेक्नालॉजी/इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर संबंधित विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य/ग्रामीण विकास कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	25. विभागाध्यक्ष, टाउन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आर्किटेक्चर/प्लानिंग इन अर्बन डिजायन/ अर्बन डेवलपमेंट/अर्बन एण्ड रीजनल प्लानिंग/एनवायरन्मेन्टल प्लानिंग/अर्बन प्लानिंग/रीजनल प्लानिंग/ट्रांसपोर्ट/हाउसिंग/सिटी प्लानिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ आर्किटेक्चर विषय अथवा समकक्ष (जिसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने मान्यता प्रदान की हो) में स्नातक उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर संबंधित विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या कुल 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30. उप संचालक, (एल.आर.डी.सी.) (तकनीकी).	-	50 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि; और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपयुक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोप कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	31. व्याख्याता, (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	निम्न संकायों के लिये लागू:— 1. आर्किटेक्चर 2. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3. केमिकल इंजीनियरिंग 4. सिविल इंजीनियरिंग 5. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग 6. इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8. माइन सर्वेइंग 9. माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग 10. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 11. टैक्सटाइल टेक्नालॉजी.
	32. प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी, ग्रेड-2, (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	33. व्याख्याता, विज्ञान/मानविकी (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में मानविकी/विज्ञान की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ मानविकी/विज्ञान की समुचित शाखा में न्यूनतम 55% अंको के सहित स्नातकोत्तर उपाधि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट (National Eligibility Test) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो.	निम्न विषयों के लिये लागू:— 1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र/ इंजीनियरिंग रसायन 3. गणित 4. अंग्रेजी 5. भू-विज्ञान 6. वनस्पति विज्ञान.
	34. व्याख्याता, ब्यूटी कल्चर एवं कास्मेटोलॉजी (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से ब्यूटीशियन/ब्यूटी कल्चर/कास्मेटोलॉजी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा); और 3. ब्यूटीशियन/ब्यूटी कल्चर/कास्मेटोलॉजी के क्षेत्र में 2 वर्ष का शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक अनुभव.	
	35. व्याख्याता, सीमेन्ट टेक्नालॉजी (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/केमिकल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. **वांछनीय**—सीमेन्ट टेक्नालॉजी में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि.	
	36. व्याख्याता, कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	37. व्याख्याता, वेषभूषा अभिकल्पन तथा पोषाक निर्माण (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.). या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वेशभूषा अभिकल्पन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि.	
	38. व्याख्याता, फूड टेक्नोलॉजी (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फूड टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	39. व्याख्याता, गारमेन्ट टेक्नोलॉजी (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से क्लोथिंग/गारमेन्ट टेक्नोलॉजी विषय में एम.एससी., या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में गारमेन्ट टेक्नालॉजी में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा फैशन/गारमेन्ट टेक्नोलॉजी/कास्ट्यूम डिजाईनिंग एवं ड्रेस मेकिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से तीन वर्षीय पत्रोपाधि; और 2. दो वर्ष का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/प्रशिक्षण में अनुभव होना चाहिए.	
	40. व्याख्याता, इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रानिक्स (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	41. व्याख्याता, इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाईन विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपादि, और 2. दो वर्ष का अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आर्किटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	42. व्याख्याता, सूचना प्रौद्योगिकी (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर साईस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	43. व्याख्याता, मेन्यूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मेन्यूफेक्चरिंग/इंडस्ट्रीयल/मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	44. व्याख्याता, मेकाट्रॉनिक्स (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रोडक्शन/आटोमेशन एवं रोबोटिक्स/मेन्यूफेक्चरिंग/मैकेनिकल/इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	45. व्याख्याता, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बायो केमेस्ट्री या बेक्टीरियोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में एम. बी. बी. एस. के साथ एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव.	
	46. व्याख्याता, माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट (गैर तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. **वांछनीय**—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था के कम्प्यूटर उपयोजन में न्यूनतम एक वर्षीय पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि.	
	47. व्याख्याता, माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट (स्टेनोग्राफी) (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट/मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस/सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस विषय में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि. **वांछनीय**—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में न्यूनतम एक वर्षीय पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि.	
	48. व्याख्याता, रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से केमिकल/पेट्रोकेमिकल/पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	49. व्याख्याता, औषधि विज्ञान (फार्मेसी) (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ तीन वर्ष का अनुभव.	
	50. व्याख्याता, प्लास्टिक टेक्नालॉजी (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्लास्टिक/पोलीमर इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्लास्टिक/पोलीमर इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पदोपाधि.	
	51. व्याख्याता, मुद्रण प्रौद्योगिकी (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्था/मण्डल/विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में उपाधि.	
	52. व्याख्याता, रेफ्रीजरेशन एण्ड एयरकंडीशनिंग (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेफ्रीजरेशन एवं एयरकंडीशनिंग विषय के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	53. व्याख्याता, टैक्सटाइल डिजाइन (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टेक्सटाइल डिजाइन/टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टैक्सटाइल केमेस्ट्री विषय में प्रथम श्रेणी में एम. एससी.	
	54. व्याख्याता, कम्प्यूटर एप्लीकेशन (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	55. व्याख्याता, रूरल इंजीनियरिंग (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रूरल टेक्नालॉजी/इंजीनियरिंग विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रूरल टेक्नालॉजी/इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि.	
	56. व्याख्याता, टाउन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर (तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आर्किटेक्चर अथवा समकक्ष (जिसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने मान्यता प्रदान की हो) में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	57. व्याख्याता, एप्लाइड वीडियोग्राफी (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में उपाधि, और 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एप्लाईड वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि के साथ तीन वर्ष का अध्यापन तथा/या व्यावसायिक अनुभव.	
	58. व्याख्याता, वीडियो उत्पादन (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हिन्दी या अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ एप्लाइड वीडियोग्राफी/वीडियो निर्माण में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से जनसम्पर्क/फिल्म निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में निर्देशक/निर्माता के रूप में अनुभव. या दो वर्ष का अनुभव दूरदर्शन निर्माण में या टी. वी. संस्था से रिले करने का अनुभव.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	59. व्याख्याता, चल-चित्रिकी (सिनेमेटोग्राफी). (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि; और 2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से फिल्म निर्देशन/चल-चित्रिकी/एप्लाइड वीडियोग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. **टिप्पणी.**—ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास फिल्म निर्देशन/चल-चित्रिकी का अनुभव हो.	
	60. व्याख्याता, वीडियो प्रौद्योगिकी (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रानिक्स में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रानिक्स में विशेषज्ञता के साथ भौतिक शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. किसी भी दूरदर्शन स्टूडियो में निर्देशन या वीडियो तथा आडियो उपकरणों के रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव.	
	61. व्याख्याता, वीडियो रिकार्डिस्ट (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से इलेक्ट्रानिक्स में प्रथम श्रेणी में उपाधि तथा किसी प्रतिष्ठित टी.वी./वीडियो स्टूडियो में दो वर्ष के कार्य का अनुभव. या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से चलचित्र/एप्लाइड वीडियोग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि और सम्पादन/ध्वनि अभिलेखन में विशेषज्ञता तथा साथ में तीन वर्षों का व्यावहारिक अनुभव.	
	62. आलेखक, (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से हिन्दी/अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से आलेखन/नाटक/टी.वी. प्रस्तुतिकरण (प्रोडक्शन) में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि और साथ ही किसी प्रतिष्ठित संस्था में आलेखक/निर्देशक/अभिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव. या किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से फिल्मांकन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और साथ में किसी प्रतिष्ठित संस्था में आलेखक/निर्देशक/अभिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	63. वीडियोग्राफर, (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ वीडियो प्रस्तुतिकरण (प्रोडक्शन)/एप्लाइड वीडियोग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. **टिप्पणी.**—वीडियो केमरा के संचालन का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा.	
	64. कैमरामेन, (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ वीडियो प्रस्तुतिकरण (प्रोडक्शन)/एप्लाइड वीडियोग्राफी में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. **टिप्पणी.**—वीडियो केमरा के संचालन का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा.	
	65. कलाकार, (गैर-तकनीकी).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से अनुप्रयुक्त कला में विशेषज्ञता सहित में प्रथम श्रेणी में ललित एवं अनुप्रयुक्त कला में पंचवर्षीय राष्ट्रीय पत्रोपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्था से रेखांकन तथा चित्रकारी में विशेषज्ञता सहित कम से कम प्रथम श्रेणी में ललित तथा अनुप्रयुक्त कलाओं में पंचवर्षीय राष्ट्रीय पत्रोपाधि.	
	66. सहायक कर्मशाला अधीक्षक.	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/प्रोडक्शन/इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	67. तंत्र विश्लेषक (सिस्टम एनालिस्ट, श्रेणी-2).	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि; और 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/संगठन के कम्प्यूटर केन्द्रों में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	68. तंत्र विश्लेषक (सिस्टम एनालिस्ट, श्रेणी-3).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	
	69. कार्यक्रमक (प्रोग्रामर).	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में पोस्ट डिप्लोमा के साथ किसी भी इंजीनियरिंग संकाय में बुनियादी पत्रोपाधि; और 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/संगठन के कम्प्यूटर केन्द्रों में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव.	
	70. ग्रंथपाल	21 वर्ष	35 वर्ष	1. इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य एजेन्सी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हित होना चाहिए. 2. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समतुल्य व्यावसायिक उपाधि या उसके समतुल्य सी.जी.पी.ए. एवं निरन्तर अच्छा अकादमिक रिकार्ड, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का अनुभव.	
	71. शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक.	21 वर्ष	35 वर्ष	1. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) अथवा खेलकूद (स्पोर्ट्स) में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि, कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित अथवा उसके समतुल्य सी.जी.पी.ए. और निरन्तर अच्छा अकादमिक रिकार्ड; 2. अंतर-विश्वविद्यालय, अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड; 3. शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण; 4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य एजेन्सी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हित होना चाहिए.	